न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 14/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2022/38

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1.भोलाराम पुत्र छगना	1.छगनाराम पुत्र अचलाराम
2.सोहनलाल पुत्र छगना	2.खीमाराम पुत्र नैनाराम
3.मुकेश पुत्र छगना	3.सोहन पुत्र खीमाराम
4.गोरखाराम पुत्र छगना	4.हेमाराम पुत्र नैनाराम
5.लूणाराम पुत्र छगना जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा	5.बुधाराम पुत्र नैनाराम
6.झमू पुत्री छगना पत्नि जबराराम जाति मेगवाल निवासी कुशीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा	6.जैसाराम पुत्र नैनाराम
7.पानी पुत्री नैनाराम बेवा सांवलाराम जाति मेगवाल निवासी टापरा हाल जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा	7.नरसिंगाराम पुत्र करनाराम
8.महेश पुत्र खीमाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा	8.गुलाबाराम पुत्र करनाराम
9.भुवनेश पुत्र खीमाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा	9.लिखमाराम पुत्र करनाराम
10.जीतू पुत्री खीमाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा	10.दलाराम उर्फ ढ़लाराम पुत्र करनाराम
11.प्रवीण पुत्र खीमाराम	11.हरीराम पुत्र उदाराम
12.रेणूका पुत्री खीमाराम	12.डायाराम पुत्र उदाराम
13.जयप्रदा पुत्री खीमाराम	13.जालाराम पुत्र उदाराम
14.कालू पुत्र बुदाराम	14.सांवलराम पुत्र उदाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
15.राजू पुत्र बुदाराम	15.गंगाराम पुत्र कोजाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा
16.रेखा पुत्री बुदाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा	16.उमाराम पुत्र रामाराम जाति मेगवाल निवासी गुगडी,बागुण्डी तहसील पचपदरा
	17.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1.श्री रोहनलाल बारूपाल अधिवक्ता वादीगण

2.श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 4,6 व 14 अनुपस्थित।

3.श्री महावीर जीनगर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5,7 से 13 व 15 अनुपस्थित।

4.प्रतिवादी संख्या 16 व 17 एकतरफा।

निर्णय

दिनांक 30.1.2026

1. संक्षिप्त में वादपत्र के संसुगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी संख्या 1 से 6 के दादा अचलाजी व वादीनी संख्या 7 के दादा कोजाजी व वादी संख्या 8 से 13 के दादा नैनाजी की संयुक्त हिन्दू खानदान् की अविभाजित पैतृक कृषि भूमि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि अवस्थित थी। वादी संख्या 01 से 6 के दादा अचलाजी व वादीनी संख्या 7 के दादा कोजाजी एवं वादी संख्या 8 से 16 के दादा नैनाजी के जीवनकाल मे दादा की संपति में पौत्र–पौत्रियों का जन्म लेते ही हक अधिकार प्राप्त हो गए थे,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने अचलाजी व नैनाजी के फौतदगी नामान्तकरण गलत व अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के नाम दायर कर दिए गए। जबकि वादी संख्या 1 से 6 के दादा अचलाजी के हक हिस्से 1/5 में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदार घोषित होने के हकदार है तथा वादीनी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के साथ 1/5 हिस्से की सहखातेदार एवं वादी संख्या 8 से 13 प्रतिवादी संख्या 2 के साथ 1/25 हिस्से की संयुक्त खातेदार होनी की हकदार थी । इसके उपरांत भी अवैध प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01,2 व 5 ने प्रतिवादी संख्या 16 को दिनांक 24.08.2021 को अवैध बैचान कर दिया गया,लेकिन उक्त बेचाननामा प्रारम से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण वादीगण के हक हिस्से तक प्रभावहीन रहेगा। अतं वादीगण का वाद स्वीकार कीया जाकर ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 से 06 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार यानि 1/30 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार वादीनी संख्या 7 को प्रतिवादी संख्या 2 व 4 से 6 के साथ 1/5 हिस्से का खातेदार यानि 1/25 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी संख्या 8 से 13 को प्रतिवादी संख्या 2 के साथ 1/25 संयुक्त हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें एवं वादी संख्या

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

14,15 को प्रतिवादी संख्या 4 के साथ 1/25 संयुक्त हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 16 के पक्ष में हुआ बेचाननामा वादीगण ने हको के विरूद्ध शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। वादीगण की सहखातेदारी घोषणा के बाद वादीगण के हिस्से भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बटंवाड़ा प्रस्ताव मगंवाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 16 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण को बेदखल नही करने हेतु वादपत्र पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलव किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 16 वावजूद रजिस्ट्री सम्मन तामीली के उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही पारित की गई। प्रतिवादी संख्या 4,6 व 14 की ओर से अधिवक्ता श्री जूजांराम पटेल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता श्री महावीर जीनगर ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5,7 से 13,15 की तरफ से वकालातनामा पेश किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ताओ को जवाव पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाव वंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 17 बावजूद सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता वक्त वहस अनुपस्थित रहे।

3. प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण विवाद के बिन्दू निहित नहीं होने से वादी का वाद–पत्र में वांछित अनुतोष ही तनकीयात मानी गई। वादी पक्ष की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह में वादी साक्ष्य में PW.01 भोलाराम द्वारा लिखित बयानात् स्वरूप शपथ–पत्र पेश किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श 02 में बेचानपत्र दिनांक 24.8.2021 की प्रमाणित प्रति,प्रदर्श 03 मे चौसाला जमाबंदी संवत 2030–2033,प्रदर्श 4–चौसाला जमाबंदी संवत 2037–2040,प्रदर्श 5–मिसल बंदोबस्त संवत 2012–2030 तक की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी पक्ष द्वारा साक्ष्य गवाही नही करवाने के कारण प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया था,कि वादी संख्या 1 से 6 के दादा अचलाजी व वादीनी संख्या 7 के दादा कोजाजी व वादी संख्या 8 से 13 के दादा नैनाजी की संयुक्त की संयुक्त हिन्दू खानदान् की अविभाजित पैतृक कृषि भूमि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि अवस्थित थी। वादी संख्या 01 से 6 के दादा अचलाजी व वादीनी संख्या 7 के दादा कोजाजी एवं वादी संख्या 8 से 16 के दादा नैनाजी के जीवनकाल में अपने दादा की संपति में पौत्र–पौत्रियों का जन्म लेते ही हक अधिकार

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्राप्त हो गए थे,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने अचलाजी व नैनाजी के फौतदगी नामान्तकरण गलत व अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 01 से 15 के नाम दायर कर दिए गए। जबकि वादी संख्या 1 से 6 के दादा अचलाजी के हक हिस्से 1/5 में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ खातेदार घोषित होने के हकदार है तथा वादीनी संख्या 7 प्रतिवादी संख्या 2 से 6 के साथ 1/5 हिस्से की सहखातेदार एवं वादी संख्या 8 से 13 प्रतिवादी संख्या 2 के साथ 1/25 हिस्से की संयुक्त खातेदार होनी की हकदार थी। फिर भी अवैध प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01,2 व 05 ने प्रतिवादी संख्या 16 को दिनांक 24.08.2021 को अवैध बैचान कर दिया गया,लेकिन बेचाननामा प्रारम से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण वादीगण के हक हिस्से तक प्रभावहीन रहेगा। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कोई भौतिक रूप से कब्जा—काश्त नहीं है,केवलमात्र अवैध प्रविष्टि का नाजायज फायदा उठाकर गलत रूप से बोकस बेचान किया गया है,जो कि वादीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शून्य है। वादीगण ने अपने साक्ष्य सबूतो के आधार पर भी साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। पुश्तैनी भूमि में जन्म से ही पौत्र—पौत्रियो के हक अधिकार पैदा हो जाते है। अतं में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार कीया जाकर ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 से 06 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार यानि 1/30 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार वादीनी संख्या 7 को प्रतिवादी संख्या 2 व 4 से 6 के साथ 1/5 हिस्से का खातेदार यानि 1/25 हिस्से का काश्तकार घोषित किया जावे तथा वादी संख्या 8 से 13 को प्रतिवादी संख्या 2 के साथ 1/25 संयुक्त हिस्से का खातेदार घोषित किया जावें एवं वादी संख्या 14,15 को प्रतिवादी संख्या 4 के साथ 1/25 संयुक्त हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। प्रतिवादी संख्या 16 के हक में हुआ बेचाननामा वादीगण ने हको के विरूद्ध शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे तथा वादीगण की सहखातेदारी घोषणा के बाद वादीगण भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बटंवाड़ा प्रस्ताव मगंवाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 16 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण को बेदखल नहीं करे।

5. हमनें वादीगण अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य उजर उठाया कि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की पुश्तैनी सयुंक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित भूमि वादी संख्या 1 से 6 के दादा अचलाजी व वादीनी संख्या 7 के दादा कोजाजी व वादी संख्या 8 से 13 के दादा नैनाजी की संयुक्त खातेदारी में

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अवस्थित थी। वादी संख्या 01 से 6 के दादा अचलाजी व वादीनी संख्या 7 के दादा कोजाजी एवं वादी संख्या 8 से 16 के दादा नैनाजी के फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 15 की खातेदारी मे दर्ज की गई,जबकि प्रतिवादी के साथ वादीगण की भी खातेदारी इन्द्राज की जानी चाहिए थी,क्योकि पुश्तैनी भूमि में दादा के जीवनकाल में पौत्र-पौत्रियों का वादग्रस्त भूमि में हक हकूक पैदा हो गए थे,इसके बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 से 15 की सयुंक्त खातेदारी में दर्ज हुए और वादीगण को उनके हक हकूको से महरूम रख दिया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01,2 व 5 द्वारा अपने हक हकूको से अधिक हिस्सा का बेचान प्रतिवादी संख्या 16 को कर दिया गया,जो कि अवैध बेचान होने से वादीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी श्रेणी में है। अतं वादीगण को प्रतिवादी के साथ माफिक वादपत्र मे चाहे गए मांग अनुरूप हिस्सेनुसार सहखातेदार घोषित किया जाकर बटंवाड़ा प्रस्ताव मगंवाया जाने का अनुतोष चाहा गया। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2074-2077 ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि के सहखातेदारान प्रतिवादी संख्या 1 व 2,5 द्वारा अपने हिस्सा भूमि का बेचान करने पर नामान्तकरण संख्या 1076/02.11.2021 पारित हुआ तथा तत्पश्चात अन्य सहखातेदारान के बेचान करने के कारण संपूर्ण खाता प्रतिवादी संख्या 16 उमाराम पुत्र रामाराम कौम मेगवाल साकिन गुगडी,वागुण्डी खातेदार दर्ज हुए तथा बेचानपत्र दिनांक 24.8.2021 से भी प्रतीत होता है। वादीगण प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5 के वारिसान है,जैसा कि पत्रावली मे दर्शित वंश वृक्षावली से पता चलता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5 से हक हिस्सा प्राप्ति के लिए अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1,2 व 5 द्वारा अपनी ओर से अधिवक्ता भी मुकर्रर किया गया था तथा प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाब पेश किए जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा साक्ष्य गवाही भी नही करवाए गए। तत्कालीन खातेदारान द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 16 को बेचान करने के बाद उनके ही वारिसान द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबध मे वाद पेश किया गया है,जबकि तत्कालीन खातेदारान प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि को बेचान की गई है तथा संयुक्त परिवार का मुखिया अपने परिवार के भरण पोषण व परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विक्रय कर सकता है। विक्रय-पत्र में भी तत्कालीन विक्रेताओं (प्रतिवादी) द्वारा पैराज संख्या 1 में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर हमारा कब्जा व हक हिस्सा खातेदारी का है। हमारे अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा व हक खातेदारी का नही है तथा पैराज संख्या 5 में भी स्वीकार किया है कि कब्जा क्रेता को करवा दिया है। उक्त खातेदारी भूमि हक हिस्सा बेचान पर अब आज से हमारा व हमारी आल-औलाद आदि का कोई कब्जा व हक

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खातेदारी का नहीं रहेगा तथा पैराज संख्या 8 मे भी लिखत है कि उक्त खातेदारी भूमि हक हिस्सा बेचान के संबध मे जो व्यक्ति उजर या एतराज करेगा तो समय पर जवाबदेही व पेरोकारी हम स्वंय हमारे खर्चे से आपके पक्ष में करेगे तथा बयान व सबूत भी हम आपके पक्ष मे देवेगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विक्रय–पत्र की शर्तो से प्रतिवादी पक्ष मुकर्ररर नही सकते है,लेकिन इसके उपरांत भी अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्ति करने के बाद भी वादपत्र मे कोई लिखित कथन पेश नही किया गया है। इस प्रकार वादीगण की ओर से वादपत्र स्वच्छ हाथो से नही लाए गए है। केवलमात्र प्रतिवादी के विरोध नही करने मात्र से वादीगण राहत प्राप्त नही कर सकते है। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूत होना आवश्यक होता है,जो कि वादीगण पेश करने मे सफल नही रहे है।

अनुतोषः–उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर यह न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1 955 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(अशोक कुमार) 30/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 30.1.2026 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

30/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 14/2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2022/38

वादीगण बनाम **प्रतिवादीगण**

1.भोलाराम पुत्र छगना 2.सोहनलाल पुत्र छगना 3.मुकेश पुत्र छगना 4.गोरखाराम पुत्र छगना 5.लूणाराम पुत्र छगना जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 6.झमू पुत्री छगना पत्नि जबराराम जाति मेगवाल निवासी कुशीप तहसील सिवाना जिला बालोतरा 7.पानी पुत्री नैनाराम बेवा सांवलाराम जाति मेगवाल निवासी टापरा हाल जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 8.महेश पुत्र खीमाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 9.भुवनेश पुत्र खीमाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 10.जीतू पुत्री खीमाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 11.प्रवीण पुत्र खीमाराम 12.रेणूका पुत्री खीमाराम 13.जयप्रदा पुत्री खीमाराम 14.कालू पुत्र बुदाराम 15.राजू पुत्र बुदाराम 16.रेखा पुत्री बुदाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा	1.छगनाराम पुत्र अचलाराम 2.खीमाराम पुत्र नैनाराम 3.सोहन पुत्र खीमाराम 4.हेमाराम पुत्र नैनाराम 5.बुधाराम पुत्र नैनाराम 6.जैसाराम पुत्र नैनाराम 7.नरसिंगाराम पुत्र करनाराम 8.गुलाबाराम पुत्र करनाराम 9.लिखमाराम पुत्र करनाराम 10.दलाराम उर्फ ढ़लाराम पुत्र करनाराम 11.हरीराम पुत्र उदाराम 12.डायाराम पुत्र उदाराम 13.जालाराम पुत्र उदाराम 14.सांवलराम पुत्र उदाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 15.गंगाराम पुत्र कोजाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा 16.उमाराम पुत्र रामाराम जाति मेगवाल निवासी गुगडी,बागुण्डी तहसील पचपदरा 17.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद बाबतः–88,53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 13 / 2022

निर्णय दिनांक :–30.1.2026

वादीगण की ओर से श्री सोहनलाल बारूपाल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थिति,इस वाद में आज तारीख 30.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 30.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहा. कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

30/01/2026

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय	—	5.आदेशिका की तामील	———
6.कमिश्नर की फीस		6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	—	जोड़	———

30/01/2026

सहायक कलक्टर

(एस.डी.ओ.)बालोतरा